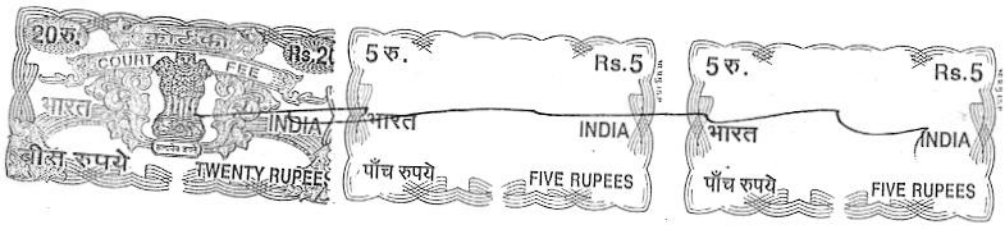

20 रु. न्यायालय फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रिवीजन याचिका प्र.क्रं. /2017-2018

आवेदक/अनावेदक - किशनलाल यादव पिता स्व. कुंजीलालयादव उम्र करीबन 65 वर्ष, निवासी ग्रामसुंदरपुर तह. पनागर जिला जबलपुर म.प्र.

ग्वालियर/जबलपुर/प्रकरण/2017/2823

अनावेदक/आवेदक - बलरामसिंह गौड़ आत्मज स्व.जनार्दनसिंह उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी म.नं. एच 88 कृषि नगर, अधारताल जबलपुर म.प्र.

रिवीजन याचिका धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

आवेदक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 1-अ/23/14-15 में पारित आदेश दिनांक 1.8.17 के विरूद्ध यहरिवीजन याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है-

तथ्य

1. यह कि अनावेदक/आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के समक्ष धारा 170 ख म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम पिंडरी खुर्द प.ह. नं. 26, पु.नया 13/35 तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 216, 217 तह.पनागर जिला जबलपुर में स्थित हैं और वर्तमान में उक्त भूमि आवेदक/अनावेदक के नाम भूमि स्वामी हक में दर्ज हैं। जो कि अनावेदक/आवेदक की पैतृक संपत्ति हैं और आवेदक/अनावेदक ने बताया कि उक्त भूमि अन रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20.10.1965 द्वारा श्रीमती केशर बाई पति कुंजीलाल से खरीदी है और प्रतिफल्य की संपूर्ण राशि देकर श्रीमती केशरबाई ने उक्त भूमि का कब्जा दे दिया है। इस तरह आज 30-31 वर्ष हो गये न तो केशरबाई के वारिस और विधिक सारसान ने आज तक कोई आपत्ति की है न श्रीमती केशरबाई ने एक वसीयतनामा भी आवेदक/अनावेदक ..2

NOTARY
RAMDAS SHARMA
M.P.19/20/4/21
-8(2)2013
JABALPUR (M.P.)

21 AUG 2017

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/जबलपुर/भूरा/2017/2823

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के प्रकरण कमांक 1/अ–23/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01.08.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला जबलपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19 **कलेक्टर जिला जबलपुर** सदस्य	